समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4592 निगरानी प्रकरण कमांक ...../2017

1 श्यामलाल पाटीदार आ0 श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार,
आयु लगभग 55 वर्ष

2 श्रीमति मुरली बाई आयु लगभग 75 वर्ष
पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जी
दोनो निवासी–ग्राम बगली, तह0 हुजूर,
जिला भोपाल म.प्र. ——— निगरानीकर्तागण

विरूद्व

श्रीमति कौशल्या पाटीदार पत्नी श्री गिरधारीलाल पाटीदार
आयु वयस्क, निवासी–ई–8/166, भरत नगर,
शाहपुरा भोपाल म.प्र. ——— अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण कमांक 180/अ–12/2016–17 पक्षकार श्रीमति कौशल्या पाटीदार विरूद्व सर्वसाधारण में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 सीमांकन दिनांक 15.09.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है:–

निगरानी के तथ्य

1 संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अनावेदक श्रीमति कौशल्या पाटीदार ने अपनी भूमि खसरा नंबर 442 रकबा 0.040 हे0 स्थित ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजूर जिला भोपाल की भूमि का दिनांक 15.09.2017 को सीमांकन कराया है, उक्त सीमांकन नियमों के विरूद्व सम्पन्न हुआ है। सीमांकन की कार्यवाही से पूर्व दिनांक 08.09.2017 की तारीख में मेढ़ पड़ौसी कृषको को सूचनापत्र जारी किया गया है, का उल्लेख किया गया है, किन्तु किसी भी मेढ़ पड़ौसी कृषक को सूचनापत्र जारी नहीं किया गया है। सूचनापत्र मो0 शरीफ, श्रीमति मुरली बाई, श्यामलाल के नाम से तैयार किया गया है, जिनका सही पता नहीं दिया है और सूचनापत्र तामीली के पश्चात् जो तामीली की रिपोर्ट लगायी जाती है, उक्त रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है, मेढ़ पडौसी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2017/4892 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-09-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	